ग्राम पंचायत पोलिंग, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पोलिंग, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पोलिंग में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति शालू देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चन्द	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत पोलिंग के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खाते के अन्तशेष में भारी अन्तर पाया जाना ।	1.46
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	20.31
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.21
4	8	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.04
5	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	1.95
6	10	आपूर्तिकर्ता के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती न करना ।	0.02
7	12	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि का भारी अन्तर पाया जाना	2.72

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत पोलिंग, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.11.2023 से 10.11.2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	07 / 2021	03 / 2022
2022–23	03 / 2023	03 / 2023

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत पोलिंग, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01 / 04 / 2021 से 31 / 03 / 2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000 / – बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 501 दिनांक 10.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत पोलिंग, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत पोलिंग के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	1281338.06	131742.00	273959.00	1687039.06	47828.80	1639210.26
2022–23	1639210.26	118090.97	48772.00	1806073.23	83480.28	1722592.95

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत पोलिंग के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	1739554.10	3485519.00	70640.00	5295713.10	3934857.00	1360856.10
2022–23	1360856.10	6343872.00	47074.00	7751802.10	5720942.54	2030859.56

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, RGSA,SDRF,SDP,VMJS,MPLAD,

A/c No. 2458000100081630	**PNB Multhan**		**1568518.56**
A/c No. 2458000100006178	**PNB Multhan**		**1145976.65**
A/c No. 20016005253	**KCCB Baijnath**		**892500**
cash in hand			
		Total	**3606995.21**

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		**1722592.95**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**333065**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**-62794**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**27914**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**0**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**1568518.56**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**0**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**82104**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**90600**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**299**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**-8847**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**0**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**0**
	Total	**3753452.51**
	diffrence	**146457.3**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹1.46 का भारी अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹1,46,457/– पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 502 दिनांक 10.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24. 01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 504 दिनांक 10.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ

में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं ।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में ₹1281338/– से ₹ 17,22,593/– तक की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 505 दिनांक 10.11.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की जाँच करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹20.31 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि प्राप्त को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹20,30,859/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

अतः उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.21 लाख की वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत (संलग्न **परिशिष्ट–3**) अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹ 20,700/– (सम्पति कर ₹15300/– व शादी पंजीकरण शुल्क ₹ 400/–व मोबाईल टॉवर शुल्क ₹ 5000/–) वसूली हेतु शेष थाः–

7.1 सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	23100	21450	44550	33100	11450
2022–23	11450	21350	32800	17500	15300

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 503 दिनांक 10.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा बकाया राशि 15300/– की शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹400/– की वसूली कम करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹ 200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2021–22 में निम्न विवरणानुसार ₹400/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल किये गये थे:–

क्र0सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि। (₹)
1	04	आशा कुमारी पुत्री श्री केहर सिह	01.05.21	14.06.21	400	200	200
2	05	प्रविता ठाकुर पुत्री श्री राम लाल	08.05.21	21.06.21	400	200	200
							400

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 508 दिनांक 30.08.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कम वसूल की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी ।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7.3 मोबाईल टॉवर शुल्क के रूप में ₹0.05 लाख की वसूली न करने बारे :—

प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev(IT)2005(Misc.)96 दिनांक 21.06.2017 अनुसार ग्राम पंचायत को स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टॉवर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश मोबाईल टॉवर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । अतः नियमों के अनुसार उक्त अभिलेख तैयार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 508 दिनांक 30.08.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि मई 2022 से मोबाईल टॉवर की फीस सरकार

द्वारा बन्द की दी गई है व इससे पूर्व की वसूली बारे सम्बन्धित विभाग को लिख दिया जायेगा व वसूली कर ली जाय़ेगी ।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को मोबाईल टॉवर शुल्क की बकाया वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

वर्ष	**अथशेष**	**मोबाईल टॉवर की माँग (₹)**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2021–22	0	5000	5000	0	5000

8 आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.04 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹ 4,436/– का अनियमित भुगतान किया गया। अतः नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹ 4,436/– के अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षक: “0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts” में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि (₹)
प्रस्तुत **परिशिष्ट–2** अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	550	15.57	1.62	25.22	60	1513.00
	बजरी	150	4.24	1.52	6.44	60	386.001
						कुल :	**1899.00**
प्रस्तुत **परिशिष्ट–2** अनुसार वर्ष 2022–23	रेत	450	12.74	1.62	20.63	80	1650.00
						कुल :	**1650.00**
		कुल योग वर्ष 2021–22 व 2022–23					3549.00
					पैनल्टी 25 %		887.00
					कुल योग:		**4436.00**

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹ 1.95 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 1,95,158/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 506 दिनांक 10.11.2023 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
08, 08.09.21	बिल नं0 466 दि0 6.9.21, 467 दि0 15.5.21, 470 दि0 18.5.21	सैनिटरी फिटिंग	34438.00	सार्वजनिक शौचालय लोहारडी बाजार 14th FC
24, 08.11.21	बिल नं0 498 दि0 06.11.21 मै0 भगवती सीमेंट स्टोर	सरिया	50743.00	नि0 वाटर सप्लाई स्कीम BASP
50, 28.03.22	बिल नं0 621,623,625,634 दि0 14.03.22 मै0 भगवती सीमेंट स्टोर	सैनिटरी फिटिंग	109977.00	नि0 पंचायत घर 14th FC
			195158.00	

10. आपूर्तिकर्ता के बिलों से आयकर की धारा 194 C के अनुसार ₹ 0.02 लाख की TDS कटौती न करने बारे :–

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 C के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹ 100000/– या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/– से अधिक की अदायगी की जाती है तो आहरण व संवितरण अधिकारी ठेकेदार के बिल से आय स्त्रोत पर व्यक्ति की दशा में 1 प्रतिशत व फर्म की दशा में 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी खाते में समयबद्ध तिथि को जमा करवायेगा। अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 23 दिनांक 08.08.2022 के तहत ₹ 2,34,350/– की राशि का भुगतान जे0सी0बी0 कार्य हेतु किया गया था । अतः 1 प्रतिशत की दर से ₹ 2344.00 की कटौती आय स्त्रोत पर न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 510 दिनांक 10.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि

सम्बन्धित सप्लायरकर्ता से टीडीएस वसूल करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

11. प्राप्त अनुदान राशि से ₹0.71 लाख का अधिक व्यय करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष 2022–23 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान राशि से ₹71,641/– अधिक राशि खर्च की गई। जोकि अनियमित है।

शीर्ष का नाम	अथशेष	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	खर्च की गई राशि (₹)	अधिक खर्च की गई राशि (₹)
5th State	–136467	252973	179300	62794
VMJS	–22947	800000	785900	8847

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 510/1 दिनांक 10.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त राशि सभा निधि से खर्च की गई है । राशि प्राप्त होने पर सभा निधि में समायोजित कर दी जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12. प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹2.72 लाख की राशि का भारी अन्तर पाया जानाः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के

नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹2,72,143.60 की राशि का निम्नविवरणानुसार भारी अन्तर पाया गया:–

31.03.2023 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	40,25,596.11
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	37,53,452.51
अन्तर	₹	2,72,143.60

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 507 दिनांक 10.112023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या Panchyat/Pol/01 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट बेबसाईट बाधित होने के कारण अन्तर है, उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के अन्तर को ठीक करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

13. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

15. मस्ट्रोलों को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :–

पंचायत द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाये गये तथा उन्हें मस्ट्रोलों पर भुगतान किया गया था परन्तु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) तथा 108 के अनुसार निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था।

अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अमल में लाई गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 **लघु आपित्त विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17. **निष्कर्ष :–**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

12 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1212- 1216 का०/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)381/2023–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पोलिंग, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

परिशिष्ट - 1
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 के सन्दर्भ में) ①

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Polling" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	-101449	250000	0	148551	339004	-190453
2	5 SFC	-109875	262286	0	152411	288878	-136467
3	VKVNY	0	0	0	0	0	0
4	14TH FC	1363521.1	4400	31239	1399160.1	1327542	71618.1
5	15TH FC	595781	1131398	38799	1765978	0	1765978
6	SBM	0	0	0	0	0	0
7	LADA	0	0	0	0	0	0
8	SDRF	0	0	0	0	0	0
9	SDP	-5870	0	0	-5870	141998	-147868
10	VMJS	-22947	0	0	-22947	0	-22947
11	MPLAD	0	0	0	0	0	0
12	RGSA	20393	0	602	20995	0	20995
13	MNREGA	0	1837435	0	1837435	1837435	0
	Total Rs.	1739554.1	3485519	70640	5295713.1	3934857	1360856.1

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Polling" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	-190453	1129500	0	939047	605982	333065
2	5 SFC	-136467	252973	0	116506	179300	-62794
3	VKVNY	0	270000	0	270000	242086	27914
4	14TH FC	71618.1	0	1726	73344.1	73344.1	0
5	15TH FC	1765978	1182061	45043	2993082	1424563.44	1568518.56
6	SBM	0	0	0	0	0	0
7	LADA	0	310000	0	310000	227896	82104
8	SDRF	0	150000	0	150000	59400	90600
9	SDP	-147868	192000	0	44132	43833	299
10	VMJS	-22947	800000	0	777053	785900	-8847
11	MPLAD	0	0	0	0	0	0
12	RGSA	20995	0	305	21300	21300	0
13	MNREGA	0	2057338	0	2057338	2057338	0
	Total Rs.	1360856.1	6343872	47074	7751802.1	5720942.54	2030859.56

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, Relief,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,SDP,IWMP,MPLAD,

A/c No. 2458000100081630	PNB Multhan	1568518.56
A/c No. 2458000100006178	PNB Multhan	1145976.65
A/c No. 20016005253	KCCB Baijnath	892500
cash in hand		
	Total	3606995.21

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)	1722592.95
Cash Book Balance on 31.03.2023	333065
Cash Book Balance on 31.03.2023	-62794
Cash Book Balance on 31.03.2023	27914
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Cash Book Balance on 31.03.2023	1568518.56
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Cash Book Balance on 31.03.2023	82104
Cash Book Balance on 31.03.2023	90600
Cash Book Balance on 31.03.2023	299
Cash Book Balance on 31.03.2023	-8847
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Total	3753452.51
diffrence	146457.3

प्रधान ग्राम पंचायत, पोलिंग
वि० ख० बैजनाथ (कांगड़ा) हि०प्र०

②

Financial Position of Own sources in r/o GP Polling

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	1281338.06	131742	273959	1687039.06	47828.8	1639210.26
2022-23	1639210.26	118090.97	48772	1806073.23	83480.28	1722592.95

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पोलिंग
वि० ख० बैजनाथ (कांगड़ा हि०प्र०

परिशिष्ट-2

इकैवन/ प्रविष्टि के पेज (क्रम 8 के सन्दर्भ में)

Gram Panchayat Polling Dev Block Baijnath 2021-2022									
Sr.No	Name Of Work	Head	Vendor Name	Voucher No Dated	Bill No & Dated	Sand CFT	Crusher CFT	Boulder CFT	Amount
1	सामुदायक पंचायत घर पोलिंग-2	14th ffc	Ram lal	37-09/03/2022	442-15/03/2022	250			16750
2	मुरमत वाटर टैंक शाप याड़ा	14th ffc	Ram lal	37-09/03/2022		40			2680
3	नि बाबड़ी पोलिंग वार्ड न 03	14th ffc	Ram lal	37-09/03/2022		60			4020
4	नि वाटर सप्लाई सकीम गोरदुग से मराड़	BASP	Roop Chand & Ram Lal	40-41-28/03/2022	019-14/08/2021 &433-12/08/2022	200	150		27650
Gram Panchayat Polling Dev Block Baijnath 2022-2023						550	150		
1	नि० पक्का रास्ता / नालियां वनु राम के घर	LADA	Ramesh kumar	123-25/03/2023	130-24/03/2023		300		18000
2	नि० पक्का रास्ता राम चद के घर से देव नारायण मंदिर	LADA	Ramesh kumar	123-25/03/2023	130-24/03/2023		150		9000
							450		

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, पोलिंग
वि० ख० बैजनाथ (कांगड़ा) हि०प्र०

परिशिष्ट-3 पैरा 7.1 व 7.3 से सम्बन्धित

List of outstanding Property tax for the period of 2021-22 & 2022-23 in r/o GP Polling Distt.Kangra,H.P.

	Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
429 ESQ=	2021-2022	23100	21450	44550	33100	11450
427 ESQ=	2022-2023	11450	21350	32800	17500	15300

List of outstanding tower Fees for the period of 2021-22 & 2022-23 in r/o GP Polling Distt.Kangra,H.P.

2021-2022 BSNL	00=0	5000=0	5000=0	00=0	5000=

List of outstanding Shop Rent for the period of 2021-22 & 2022-23 in r/o 0 Distt.Kangra,H.P.

2021-2022	00=0	12000=0	12000=0	12000=0	00=0
2022-2023	00=00	12000=0	12000=0	12000=	00=0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, पोलिंग
वि० ख० धर्मशाला (कांगड़ा) हि०प्र०